रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 48 ● अंक – 17 ● कानपुर 1 से 15 सितम्बर 2026 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

अधूरी क्षमता से किये गये कार्य कभी भी पूर्ण फलदायी नहीं होते

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में बड़ी तेज़ी के साथ उभर रही है और हमारे चिकित्सक अपनी पूरी योग्यता के साथ अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वहीं कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो प्राप्त अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझ कर समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम बिना किसी आलोचना की परवाह किये सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा चिकित्सक जागरूक हो।

जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि किसी वास्तविक झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ़ कार्यवाही हो तो कार्यवाही उचित लगती है लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जो कि शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत है तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है और वह झोलाछाप की कार्यवाही में फंस जाता है तो बहुत कष्ट होता है क्योंकि झोलाछाप की कार्यवाही समाज में आपकी प्रतिष्ठा को गिराती है और जिस कार्यवाही के आप पात्र नहीं हैं वह जरा सी नादानी/लापरवाही के कारण आपके ऊपर हो जाती है, तो निश्चित तौर पर कष्ट का होना स्वभाविक है, हमने जहाँ कहीं भी जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम किये हैं वहां पर एक ही बात हम बार–बार दोहरा रहे हैं कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को चाहिये कि वह अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के (बोर्ड द्वारा नियुक्त) ज़िला प्रभारी के कार्यालय में अवश्य प्रेषित करे कुछ लोग हमारी बात से सहमत होते हैं और कुछ लोग हमारी सलाह का मज़ाक भी उड़ाते हैं, कहीं–कहीं तो यह आरोप भी लगाये जाते हैं कि बोर्ड द्वारा यह अभियान अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है (जबकि वास्तविकता यह है कि ज़िला पंजीयन बोर्ड द्वारा निःशुल्क किया जाता है) जब इस तरह के बेबुनियाद तर्क हमारे पास आते हैं तो हमें कष्ट तो नहीं होता है बल्कि तरस आता है उन लोगों की ओछी मानसिकता पर जो इतने निम्न स्तर के विचार रखते हैं यहाँ पर हम यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे कि बोर्ड ने चिकित्सकों के प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता है पहले दिन से हम यह कहते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके के लिए और हम इसी सिद्धान्त पर आज भी चल रहे हैं यह बात हर व्यक्ति को गाँठ बांध लेनी चाहिये कि आपको जिस प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना है उस प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु प्रचलित नियमों और कानूनों का पालन करना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश है कि प्रत्येक शिक्षित, प्रशिक्षित, पंजीकृत व प्राधिकृत चिकित्सक अपने चिकित्सा व्यवसाय का पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में करेगा।

अब नये नियम के अनुसार केवल एलोपैथिक चिकित्सक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में ज़िला पंजीयन कराते हैं एवं वैद्य व हकीम एवं होम्योपैथ क्रमशः क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी के यहां एवं होम्योपैथी के चिकित्सक ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीयन कराते हैं, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा कर रहे चिकित्सक अपने जनपद के ज़िला प्रभारी कार्यालय में अपना आवेदन देते हैं विदित हो कि जिन जनपदो में ज़िला प्रभारी कार्यालय नहीं है वे क्षेत्रीय कार्यालय में अपना आवेदन देते हैं।

उच्च न्यायालय के इस निर्णय आदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी आदेश जारी किये जा चुके हैं, तो फिर हम यदि इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो न केवल असवैधानिक कार्य करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना भी करते हैं, हम इसी बात का प्रचार जागरूकता अभियान के द्वारा कर रहे हैं, हम अपने हर कार्यक्रम में आने वाले हर चिकित्सक से यही निवेदन करते हैं कि वह सर्वप्रथम अपना आवेदन अपने जनपद के ज़िला प्रभारी/क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय में करे चाहे वह किसी भी संस्था का हो, हमारा पहला लक्ष्य चिकित्सकों को संरक्षण देना है, संस्थायें अपने अधिकार व उपयोगिता सक्षम अधिकारी के सामने सिद्ध करेंगी हमें सिर्फ यह सिद्ध करना है कि हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अधिकृत है लेकिन यदि हम पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो सब कुछ होने के बावजूद भी झोलाछाप की श्रेणी से अलग नहीं हो पायेंगे इसलिए यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम बिना किसी सोच विचार के वह काम करें जो कि एक अच्छे चिकित्सक के लिए आवश्यक है, जिन लोगों के मन में ऐसी विचारधारा है कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता नहीं मिलती है और कानून नहीं बनता है तब तक उन्हें किसी द्वन्द में नहीं पड़ना है ऐसे व्यक्तियों को आज नहीं तो कल अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा समय रहते विचारों में परिवर्तन कर लेंगे तो सहज रहेंगे यदि कार्यवाही होने के बाद हमारे विचारों से आप सहमत हुए तब आनन्द नहीं आयेगा।

झोलाछाप अभियान के तहत होने वाली जाँचों से आपको घबराना नही चाहिये बल्कि सहर्ष जाँच अधिकारी को सहयोग करना चाहिये और यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इस चिकित्सा पद्धति के लिए बाकायदा शासनादेश जारी है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथ किसी तरह से झोलाछाप की श्रेणी में नहीं आता है।

कभी कभी कुछ प्रकरण ऐसे भी सामने आये है जब आपसी द्वेष के कारण चिकित्सक की शिकायत अधिकारी से की गयी है और यह आरोप लगाया गया है कि चिकित्सा व्यवसाय कर रहा चिकित्सक गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है, आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है उन आरोपों के आधार पर उस चिकित्सक की जाँच भी हो सकती है और यह भी सम्भव है कि यदि शिकायत कर्ता प्रभावशाली है तो अपने मन मुताबिक जाँच की समीक्षा भी करवा सकता है लेकिन इन सबके बावजूद भी जब वास्तविकता सामने आती है और प्रभावित चिकित्सक डटकर मुकाबला करता है तो वह चिकित्सक सफ़लता की नई इबारत लिखता है, लेकिन यह तभी सम्भव होता है जब आप आत्म विश्वास के साथ अपना पक्ष रखें, कभी कभी यह भी हो जाता है कि हमारा चिकित्सक चिन्हित हो जाता है और उस चिकित्सक को पता तब लगता है जब समाचार पत्रों के माध्यम से उसे अपने विरूद्ध कार्यवही किये जाने का संज्ञान होता है, ऐसी स्थिति में भी संयम नहीं खोना चाहिये बल्कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को आधार बना कर तत्काल अपना पक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये, अपने आप को कभी भी हीन या लाचार न समझें आप अधिकृत चिकित्सक हैं और आपको चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है बशर्ते नियम विरूद्ध कार्य न कर रहे हों।

इन बातों को सदैव मन में रखते हुए कार्य करना चाहिये चूँकि इस तरह की होने वाली कार्यवाही और कार्यवाहियों के उपरान्त प्राप्त परिणामों से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति मज़बूत होगी, यदि 10 – 15 साहसी चिकित्सक यदि हिम्मत पूर्वक ऐसी कार्यवाहियों का सामना कर लेंगे तो उसका संदेश सामने वाले अधिकारी पर सकारात्मक जायेगा और एक वह समय भी आयेगा जब अधिकारी किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कई बार सोचेगा।

अपने आपको किसी से कम न समझें

वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्थिति स्पष्ट और पारदर्शी है जो आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए उपलब्ध हैं वह कार्य करने की पूरी छूट देते हैं और अधिकारपूर्वक कार्य करने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं यह व्यवस्थाओं की बात है कि हर प्रदेश की अपनी अलग अलग कानूनी व्यवस्था होती है, जिस राज्य में हमें कार्य करना होता है उन्ही कानूनों का पालन करते हुए हम कार्य कर सकते हैं लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथियों को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, विश्वास न होने के दो ही स्पष्ट कारण नज़र आते हैं प्रथम तो यह हो सकता है कि वह लोग समग्र अधिकारिता के स्थान पर व्यक्तिगत अधिकारिता को ज़्यादा प्रमुखता देते होंगे या दूसरा कारण यह हो सकता है कि स्वयं को अधिकार विहीन मानकर मात्र अपने अस्तित्व को दर्शाने के लिए तरह–तरह के यत्न करते रहते हैं, अधिकार पाने के लिए यत्न करना बुरी बात नहीं है लेकिन यत्न ऐसे हों जिनका लाभ स्वयं को भी मिले और चिकित्सा पद्धति भी पुष्पित पल्लवित हो जब ऐसा होगा तो जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं उनका कार्य और सरल हो जायेगा लेकिन यह तभी सम्भव है जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को व्यक्तिगत न मानकर सार्वजनिक के रूप में स्वीकार करें।

कटु सत्य तो यह है कि तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद भी हमारे साथियों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है सामन्तवाद के स्थान पर वह लोकतन्त्र को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वह हमारी सोच से एकरूपता नहीं रखते हैं उनकी सोच भी एक है, लक्ष्य भी एक है, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वह वर्तमान परिस्थितियों में लाभकारी नहीं सिद्ध हो पा रहा है, अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मंच पर कार्य करते हुए दिखायी देने के लिए इस तरह के हमारे साथियों द्वारा जो कृत किये जाते हैं वह कदापि लाभकारी नहीं हो सकते हैं जहाँ तक मान्यता का विषय है हम सब के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य लोगों के लिए लेकिन मान्यता के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है इस समय उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यक है।

25 नवम्बर, 2003 के आदेश में भारत सरकार ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं देगी, जिस 25 नवम्बर, 2003 के आदेश से पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी थी आज वही आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कार्य करने का रास्ता बना रही है, काम करते हुए सरकार पर इतना दबाव बनाया जाये कि विभागीय अधिकारी इस बात पर स्वयं विवश हो जायें कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के लिए सरकार से स्वयं अनुशंसा करने लगें, किये हुए कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं हमें सकारात्मक परिणामों से प्रेरणा लेनी चाहिये, योग सदियों से भारत वर्ष में प्रचलित है जैसे ही बाबा रामदेव ने योग के चमत्कारिक परिणामों को दुनिया के सामने रखा दुनिया चकित रह गयी और परिणाम आप सब के सामने है योग को मान्यता दिलाने के लिए न तो कोई आन्दोलन किया गया और न ही धरने प्रदर्शन किये गये, मात्र अपनी क्षमता के बल पर योग को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ, यहां लिखने का तात्पर्य यह है कि कार्य से हर चीज़ सिद्ध हो जाती है जहां तक राजनैतिक दबाव की बात है, राजनैतिक दबाव पड़ना चाहिये साथ–साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम जिन राजनैतिज्ञों से मिलते हैं उनके सामने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ऐसी छवि प्रस्तुत करें कि सामने वाला व्यक्ति इस चिकित्सा पद्धति से स्वयं प्रभावित होकर मान्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वतः आगे बढावे इसलिए अब वह समय आ गया है जब इस समस्या के समाधान के लिए कोई ऐसी ठोस और पारदर्शी नीति निर्मित की जाये जो कि सर्वजन हिताय हो।

यह समय वस्तुतः निर्णायक समय है।

प्रयास हमारा – सहयोग आपका

झोला छाप चिकित्सकों की जाँच की आड़ में बेकसूर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को परेशान किया जा रहा है, ऐसी शिकायतें बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 कार्यालय को प्राप्त हो रही थीं कि जनपद के **CMO** की टीम उन्हें परेशान कर रही है जबकि उनके पास वैध पंजीकरण एवं जिला पंजीयन है।

चेयरमैन बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इसे गम्भीरता से लिया एवं निदेशालय से सम्पर्क कर वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुये अपना विरोध दर्ज कराया।

परिणामोस्वरुप निदेशालय द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया एवं **CMO** को दिनांक 14 अगस्त, 2026 को यह आदेश जारी किया कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–6 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रेषक,

निदेशक(चिकित्सा उपचार),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जौनपुर, रायबरेली, हमीरपुर, कानपुरनगर एवं फतेहपुर।

पत्रांक: 11फ/2026–27/ 11639 दिनांक : 14/8/2026

विषयः इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चेयरमैन, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0, 8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001, प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014 के पत्र संख्या–786/बी0ई0एच0एम0/2026 दिनांक 14.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से चेयरमैन, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शिक्षित, प्रशिक्षित, पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सकों के कार्य में हस्तक्षेप न किये जाने सम्बन्धी अनुरोध किया गया है।

उक्त पद्धति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के आदेश संख्या–No.R14015/25/96-U&H(R)(PL) दिनांक 25.11.2003 एवं दिनांक 05.05.2010 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2914/पांच–6–10–23रिट/11 दिनांक 04 जनवरी 2012 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी उपांकित आदेशों एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–6 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
15/08/26.
निदेशक(चिकित्सा उपचार)

पत्रांक :11फ/2025–26/ तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टॉफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. चेयरमैन, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001 प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014

संयुक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार)

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–6
कार्यालय ज्ञाप
संख्या–2914/पाँच–6–10–23रिट/11दिनांक 04 जनवरी, 2012
के अनुसार

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 भारत सरकार के आदेश दिनांक 25–11–2003 एवं 05–05–2010 के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित कर इलेक्ट्रो होम्यापैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, पंजीकरण, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है।

Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Certificate in Electro Homoeopathy	C.E.H.	10th. Standard or Equivalent	2 Years
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	RegisteredPractitioner in any Branch or Equivalent	1 Year
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus (1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014
website: www.behm.org.in

आस्थाओं पर यह कैसा विवाद

04 सितम्बर,1896 या 3 अप्रैल,1896

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–14 से प्रकाशित किया।